रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2007/श्रावण 30, 1929
No. 384] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2007/SRAVANA 30, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 559 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में अनुसूची में, क्रम संख्या 3 में,--

(i) टिप्पण 1 के लिए, निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**टिप्पण 1** : (1) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड अथवा आयल इंडिया लिमिटेड के नामांकन ब्लाक के लिए कच्चे तेल की कूप मुख कीमत और केसिंग मुख संघनित्र, कच्चे तेल की बिक्री कीमत अथवा केसिंग मुख संघनित्र से क्रमश: तटीय और अपतटीय कूप के लिए प्रति मीटरी टन एक हजार दो सौ इक्यावन रुपए मात्र और प्रति मीटरी टन नौ सौ सैंतालीस रुपये मात्र की कटौती करके निर्धारित किया जाएगा ।

(2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट राशियां कूप मुख पश्चात् लागत होंगी जो 1 अप्रैल, 2007 से तीन वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि तक जब संशोधित दरें अधिसूचित की जाएंगी, के लिए वैध होंगी ।

(3) उन पर तेल उद्योग विकास उप कर और शिक्षा उप कर कूप मुख पश्चात् लागत का भाग नहीं बनेंगे ।

(4) स्वामित्व को निम्नलिखित रूप से सह स्वामित्व आधार पर परिकलित किया जाएगा :

$$\text{स्वामित्व की रकम} = \frac{\text{कूप मुख कीमत} \times \text{स्वामित्व दर}}{(100 + \text{स्वामित्व दर})\ ।''}$$

(ii) टिप्पण 2 के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण 3** : आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड अथवा आयल इंडिया लिमिटेड के प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था से भिन्न सभी मामलों में प्राकृतिक गैस के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड अथवा आयल इंडिया लिमिटेड के नामांकन ब्लाकों से भिन्न मामलों के लिए कच्चे तेल की कीमत अथवा केसिंग मुख संघनित्र को आंकलित करने के प्रयोजनार्थ कूप मुख पश्चात् लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :

(1) प्रति इकाई कूप मुख पश्चात् लागत अर्थात् कच्चे तेल अथवा केसिंग मुख संघनित्र के लिए प्रति मीटरी टन अथवा बैरल और, प्राकृतिक गैस के लिए प्रति मिलियन मीटरी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं में सूचित कूप मुख पश्चात् वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

(2) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अंतर्गत, नए क्षेत्र से उत्पादन के मामले में, प्रथम वर्ष के लिए कूप मुख पश्चात् लागत पट्टाधारी द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमान लगाया जाए महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन द्वारा इसे विधिवत प्रमाणित किया जाए और अन्तिम समायोजन, प्रथम वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर, प्रथम वर्ष के अन्त से एक सौ बीस दिनों के भीतर किया जाएगा ।

(3) तेल उद्योग विकास उपकर और शिक्षा उपकर, मूल्यह्रास व्यय, आयकर, उस पर अधिभार और लाभ पेट्रोलियम कूप मुख पश्चात् लागत के अन्तर्गत व्यय के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा ।

(4) पट्टाधारकों द्वारा पूरा रिकार्ड अथवा पूर्ववर्ती वर्ष में की गई कूप मुख पश्चात् वास्तविक लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रक्रियाओं का रख-रखाव किया जाएगा और इनकी लेखा परीक्षा कराई जाएंगी ।

(5) स्वामित्व की गणना पूर्व स्वामित्व आधार पर की जाएगी ।''

[फा. सं. 22013/1/03-ओएनजी-III]

ए.के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की अनुसूची अधिसूचना संख्या सा.आ. 219 (ई) दिनांक 26 मार्च, 1981 और सा.का.नि. 814 (ई) दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 के द्वारा संशोधित कर दी गई है ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th of August, 2007

G.S.R. 559 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule to the said Act, namely :—

2. In the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, in the Schedule, in serial number 3 ,—

(i) for Note 1, the following note shall be substituted, namely :

"**Note 1 :** (1) The well head price of crude oil and casing head condensate for nominated blocks of Oil and Natural Gas Corporation Limited or Oil India Limited shall be determined by deducting rupees one thousand two hundred and fifty one only per metric tonne and rupees nine hundred forty seven only per metric tonne for onshore and offshore respectively, from the sale price of crude oil or casing head condensate.

(2) The amounts specified in clause (1) shall be the post-well head cost which shall be valid for a period of three years with effect from 1st April, 2007 or such period till the revised rates are notified.

(3) Oil Industry Development Cess and Education Cess thereon shall not form part of post well head cost.

(4) Royalty will be calculated on cum-royalty basis as under :

$$\text{Royalty amount} = \frac{\text{Well head price} \times \text{royalty rate}}{(100 + \text{royalty rate})}."$$

(ii) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely :—

"**Note 3** : The post well head cost for the purpose of calculating well head price of crude oil or casing head condensate for cases other than nominated blocks of Oil and Natural Gas Corporation Limited or Oil India Limited and for natural gas in all cases other than Administered Price Mechanism gas of Oil and Natural Gas Corporation Limited or Oil India Limited shall be determined as under :

(1) Per unit rate of post well head cost, that is, per metric tonne or barrel for crude oil or casing head condensate and per Million Metric British Thermal Unit for natural gas shall be determined based on actual post well head expenditure reported in previous year's audited accounts

(2) In case of production from a new field under the Production Sharing Contract, the post well head cost for the first year may be provisionally estimated by the lessee and duly certified by the Directorate General of Hydrocarbons and final adjustments shall be made within one hundred twenty days from the end of the first year, based on the audited accounts of the first year.

(3) Oil Industry Development Cess and Education Cess, Depreciation expense, Income Tax, surcharge thereon and profit petroleum shall not be allowed as expenditure under post well head cost.

(4) Full records shall be maintained and got audited by lesses or procedures to assess the actual post well head cost incurred in previous year.

(5) Royalty shall be computed on ex-royalty basis".

[F. No. 22013/1/03-ONG-III]

A.K. JAIN, Jt. Secy.

Note : The Schedule to the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) has been amended *vide* notification numbers S.O. 219(E), dated the 26th March, 1981 and GSR 814(E), dated the 16th December, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.